न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 23/2021

प्रार्थीगण :-

1. सायरीदेवी पत्नी ढलाराम
2. नेनू पुत्री ढलाराम
3. दरीया पुत्री ढलाराम जातियान देवासी निवासीयान रातडी तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
2. रामाराम पुत्र सरदाराराम जाति देवासी निवासी रातडी
3. प्रभुराम पुत्र नारायणराम जाति रावणा राजपूत
4. बाबुराराम पुत्र दुर्गा जाति कलबी
5. देदाराम पुत्र दुर्गा जाति कलबी
6. गेनादेवी पत्नी दुर्गा जाति कलबी
7. मफालाल पुत्र दुर्गा जाति कलबी
8. लाला पुत्र वीरमा जाति कलबी निवासीयान रातडी तहसील समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री लादाराम परमार अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–05.04.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा रातडी पटवार मण्डल रातडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 462/110 रकबा 20–00 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की नेखम नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय विवाद व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद खसरा नम्बर 462/110 रकबा 20-00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **05.04.2021** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक / 2021 / 4353 | दिनांक : 07.04.2021

प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण

सायरीदेवी वगैरा | **राजस्थान सरकार वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं......23 / 2021 | दिनांक :–05 .04.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम रातडी पटवार मण्डल रातडी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 462 / 110 रकबा 20–00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. समदडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500 / –प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना
दिनांक : 07.04.2021

क्रमांक: वाद / 2021 / 4354-57
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी समदडी
3. हल्का पटवारी रातडी को मय रेकर्ड के मौके पर रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. सायरीदेवी पत्नी ढलाराम जाति देवासी निवासी रातडी तहसील समदडी

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:23 IST
Reason: SelfAttested